SPECIAL ANTI CRIME BUREAU
स्पैशल ऐन्टी क्राइम ब्यूरो (विशेष विरुध अपराध विभाग)

संविधान/नियम तथा कानून

<u>धारा - 1</u>

1. नाम : विशेष विरुध अपराध विभाग **(Special Anti Crime Bureau)**

<u>धारा - 2</u>

1. संस्था का मुख दफ्तर(रजिः) : संस्था का मुख दफ्तर जो स्थित होगा एफ-16/659 हरगोबिंद ऐविन्यू गली नंः 2, मजीठा रोड, अमृतसर

<u>धारा - 3</u>

1. उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखत आदेश होंगे

1) महिला का शिशू-वध (या अपरिपक्य महिला प्राण हत्या)
2) दहेज पद्धति
3) भ्रष्टाचार
4) बलात्कार मुकद्दमे
5) प्रदूषण विरूध कारवाई
6) बेरोजगारी
7) सिलाई तथा कशीदाकारी स्कूल और सिखलाई केन्द्र महिलाओं के लिए
8) कारखाने में या छोटी-छोटी उघोगिक ईकायों में काम करने वालों कार्यकार्त्ताओं को इन्साफ दिलाना
9) ब्लैकमेंलिंग के विरूध कारवाई/आवाज उठाना
10) नशीली पद्धार्थों को रोकना
11) समाज की निंदा करने वाले के विरुध कारवाई
12) ग्राम पंचायत द्वारा बिना उपयुक्त धन का ईस्तेमाल
13) लड़कीयों का शोषण करने वालों को रोकना ताकि उनका समाज में बुरा प्रतीबिम्ब न बने।
14) गंदी फिल्मों तथा अर्ध-नग्न पोस्टरों के विरूध कारवाई
15) बस में गल्त गानें बजाने वालों के विरुध कारवाई करना
16) जूआबाजी और कामवासना को बजार में बेचने से रोकना
17) जूआबाजी के विरुध आवाज उठाना
18) खिलाड़ीयों के समुह को तैयार करना तथा नवयुवकों में खेलों तथा स्वास्थ्य संबंधी उत्साह पैदा करना
19) ग्राम तथा शहरों में सांस्कृतिक (कलचर प्रोगराम) संबंधी लोगों को जागरूक करना
20) सरकारी स्कूलों में दाखिला लेकर पढ़ाई प्राईवेट स्कूलों में करने वालों के विरूध कारवाई करना
21) स्कूल और कालिजों में पेपरों के दौरान नकल करने वालों के विरूध कारवाई

22) स्कूल में, डिस्पैंसरीयों में, पुलिस स्टेशनों तथा सारे सरकारी दफ्तरों में गैर-कानूनी काम करने वालों के विरोध में आवाज उठाना

23) अनुसूचित जातियों तथा गरीबा वर्ग के बच्चों को सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में मिलने वाले वजीफे, स्टेशनरी तथा अन्य समान न मिलने पर गलत नियतन वाले लोगों के खिलाफ कारवाई

24) भारत सरकार संस्था द्वारा मासूम लोगों को गलत मार्गदर्शन करने वालों को रोकना

25) सरकारी खुराक डिपो तथा गैस ऐजंसीयों द्वारा आम लोंगों को समान न मिलने या कम मिलने व ब्लैकमेंलिंग करने वालों के खिलाफ कारवाई

26) न सहिन करने वाली तथा उंची आवाज वाले लाउड स्पीकर तथा डी.जे सिस्टम पैलेस तथा दूसरी जगह में बजाने वालो को रोकना।

27) ट्रैवल ऐजंटों तथा नौकरी का झूठा झांसा देने वाले व्यक्तियों जो सीधे-साधे लोगों से पैसा वसूल करने तथा पैसा लेकर काम न करने वालों के खिलाफ कारवाई

28) प्रत्येक प्रकार की मुश्किल को हल करने के लिए सही इन्साफ करना।

29) पुलिस वाले जो शराबी हालत में डियूटी पर होते है उनके खिलाफ कारवाई

30) वह लोग जो संस्था द्वारा दिये परिचय-पत्र (पहिचान पत्र) का बगैर किसी सूचना के गलत प्रयोग करते है उनके विरुध कानूनी कारवाई करना तथा उनका परिचय-पत्र वापस लेना।

31) मिलावटी समान तथा ऊंची दरों पर दुकानों में समान बेचने वालों के खिलाफ कारवाई

32) किसी की जायदाद पर नजायज कब्जा करने वालों के विरूध कारवाई

33) चूंगी चोरी करने वालों को रोकना व कारवाई करना

34) आडिट करने वालों में बढ़ौतरी करनी तथा जो गलत व्यवहार करते है तथा वातावरण को खराब करते है उनके विरोध में कारवाई करना

35) गैर कानूनी तरीके से शराब को बेचने वालों के विरोध में कारवाई

36) लोगों को शहीदी दिन मनाने के लिए उत्साहित करना

37) संस्थापक, संस्था के किसी भी सदस्य को निषकाशित कर सकता है

38) गरीब होनहार खिलाड़ी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन खिलाड़ीयों की संस्था की तरफ से मदद करना

39) जरूरतमंद लोगों की सहायता करना जो सहायता चाहते है।

40) आंतकवाद के विरोध में कारवाई करना।

41) रक्तदान कैंप लगाना।

42) मानवता विरोधी होने वाली कार्यवाई को रोकना।

43) विशेष सुरक्षाकर्मी संस्था बनाना।

44) यदि कोई व्यक्ति वाहनों को चोरी करके तथा नकली कागजात बना कर आगे बेचते हैं तो उन गिरोह का पता लगाना तथा पुलिस को सूचित करना तथा चोरों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करना

सभापति	उप-सभापति	दफ्तर-सैकटरी	खजानची

<u>धारा - 4</u>

1. **सदस्यताः -**

निम्नलिखत को संस्था का सदस्य बनाया जा सकताः -

1) जिसकी आयु 18 साल की हो चुकी हो
2) जिनको संस्था के आदेशों में भरोसा है तथा जो कर्जा चुका सकते है हरेक सदस्य का केवल एक ही वोट होगा

<u>धारा - 5</u>

1. **कार्य क्षेत्रः -**

अखिल भारत में व जहाँ भी जरुरत महसूस हो पंजाब के किसी भी जिले में व भारत वर्ष के किसी भी राज्य में शाखाएं खोली जा सकती है तथा शाखाएं खोलने और सदस्यता के लिए सदस्य का चुनाव चेयरमैन/सभापति/प्रधान की अध्यक्षा में किया जाएगा।

<u>धारा - 6</u>

1. **दाखिला/सदस्यता की फीसः**

जो संस्था की सदस्यता का इच्छावान है वह संस्था को रूः 500/ बतौर वार्षिक मैंबरशिप फीस तथा रूः 50/- मांहवार चंदा अदा कर सकता हो।

2. **आजीवनकाल सदस्यता फीस**

जो संस्था की सदस्यता का इच्छावान है वह संस्था को रूः 3000/ बतौर आजीवनकाल मैंबरशिप फीस तथा रूः 50/- मांहवार चंदा अदा कर सकता हो।

<u>धारा - 7</u>

1. **प्रशाषन/संस्थाः**

संस्था आपनी प्रशाषन संस्था निम्नलिख विवरण अनुसार रखती है

<u>धारा - 8</u>

1. **चुनाव :**

संस्था कार्यकारी सभा के लिए चुनाव करेगी जो लगातार आने वाले दो साल तक होगा
एफ.सी. का विवरण संस्था के समृति पत्र में दिया गया है कार्यकारी सभा का समय दो साल के लिए होगा, चुनाव प्रतिवर्ष आम संस्था की सभा में होगा।

<u>धारा -9</u>

1. **सभा :**

1) सभा के लिए कम से कम 1/3 सभा के सदस्यों का होना जरूरी है। दो दिनों की एक सूचना पत्र सभी सदस्यों को दी जाएगी जिसमें आम सभा का होना निशचित किया गया है।
2) कार्यकारी सभा के लिए कम से कम 11 सदस्यों का होना निशचित है। कार्यकारी सभा का आयोजन एक दिन पहले सूचित किया जाएगा यदि अपातकालीन, सभा को बुलाया जाएगा तो कम से कम समय में प्रधान या सैकटरी को सूचित किया जाएगा यदि वोट बराबर के होंगे तो प्रधान को एक ही वोट देने का अधिकार होगा।

<u>धारा -10</u>

1. **सदस्यता से निष्काशित करनाः**

संस्था के सदस्य को समुह द्वारा सभा में वोट देकर निष्काशित किया जा सकता है।

1) वह लगातार प्रतिमाह तीन महीने तक चंदा नही देने पर संस्था से निष्काशित किया जा सकता है।
2) जो लगातार तीन सभा में बगैर किसी कारण उपस्थित न हो सके
3) जो सभा के आदेशों के खिलाफ कारवाई करता हो और सभा को नुकसान पहुंचाता हो।
4) मौत या पागलपन

परन्तु सदस्य को सदस्यता से निकालने के लिए पहले उसको मौका दिया जाएगा ताकि वह कार्यकारी सभा में आपना पक्ष पेश कर सके तथा जो उसके बारे में दोष तथा उसके विचार सुनने के बाद उसका फैंसला अगली सभा में किया जाएगा।

<u>धारा -11</u>

1. **आम सभा को बुलाने तथा चलाने के लिए कर्त्तव्य, अधिकारों का ईस्तेमालः**

1) संस्था के लिए नियम बनाना तथा उसे लागू करना।
2) संस्था के आदेशों को लागू करना।
3) दफ्तरी और कार्यकारी सभा का हर दो साल में चुनाव करना और सभा के नियमों का पालन करना
4) संस्था की जायदाद तथा उसके धन का सही प्रयोग करना
5) संस्था की सलाना रिपोर्ट तैयार करना, संस्था के खाते को जो पिछले साल का है, चैक कराना तथा संस्था के लिए आडिटर नियुक्त करना और आने वाले साल के लिए धन का अनुमान लगाना
6) संस्था को सांझे तौर पर तथा अपनी जिम्मेवारी को समझकर संस्था को चलाना
7) संस्था की उन्नति के लिए जो भी कार्य करने होगें वह लागू करने से पहले सभा में उस पर विचार किया जाएगा।

<u>धारा -12</u>

1. **कार्यकारी सभा के कर्त्तव्य व अधिकारः**

1) दान लेना तथा खाते में जमां करना इस बारे लिखित करना कि सभा के किस काम के लिए मिला है
2) संस्था के आदेशों के अनुसार अगर जरूरी हो तो बिलडिंग बनाना या उसकी देखभाल करना।
3) संस्था के नियम लागू करना तथा यकीन करना कि सदस्य संस्था के नियमों व कानूनों को मान रहे हैं
4) जो सदस्य के काबिल है उन्हीं को केवल संस्था की सदस्यता देना
5) संस्था का प्रबंध करने के लिए जरूरी नियम बनाना
6) संस्था के लिए सटाफ नियुक्त करना
7) संस्था को नियमित रूप से बुलाना
8) संस्था के सदस्य जो संस्था के लिए नहीं चाहिए जिनका चाल-चलन ठीक नही है तथा जो संस्था के साथ हमेशा झगड़ा करते है उनको संस्था की सदस्यता से खारिज करना
9) अगर जरूरत हो तो संस्था की छोटी सभा को नामजद करके कोई खास कार्य के लिए बुलाई जा सकती है
10) यदि बनाये हुए नियमों में कोई अल्ग अल्ग विचार या संस्था में झगड़ा पैदा हो तो उसका फैंसला करना तथा उसके बारे में बताना
11) संस्था की चल तथा अचल जायदाद को, संस्था की भलाई के लिए कार्य करना और उसका निरिक्षण करना, खरीद करना, अधिकार में लेना, विक्रय करना, रहन करना
12) संस्था के आदेशों को पूरा करने के लिए धन को बढ़ाना, उसके लिए बैंकों, ट्रस्ट, सरकार, गैर-सरकारी, प्रशासन संस्था से कर्जा व ग्रांट लेना

<u>धारा -13</u>

1. **दफ्तर वालों के फर्ज और कर्त्तव्यः**

1) **सभापति/अध्यक्षः-**

1) सभापति कार्यकारी संस्था का मुखिया होगा और हर सभा में या कार्यकारी संस्था में बुलाने से संस्था में हाजिर होगा और बतौर मुखिया कार्यवाही करेगा।
2) संस्था के धन के बारे यह यकीन किया जाएगा कि यह अच्छी हालत में है और जरूरत न होने पर इसको खर्च नही किया जाएगा
3) अल्ग अल्ग व्यापार के बारे में सभा को बुलाना तथा जरूरी कार्यवाईयों के लिए यकीन करना जो संस्था के लिए जरूरी हों
4) खर्चे की मंजूरी तथा लगातार मंजूरी जो .... रू एक समय एक वस्तु के लिए खजानची की सहमति से मंजूरी लेना।
5) संस्था की तरफ से हर दस्तावेज जो कार्य के लिए तैयार किये है उन पर हस्ताक्षर करना, उस पर सांझे तौर पर या उसके साथ खजानची/सैकटरी/उप-सभापति के हस्ताक्षर लेना।
6) सदस्यों के कर्त्तव्य निर्धारित करना और दूसरे सदस्य संस्था को ठीक तरह चलाने के लिए उनकी मदद लेना
7) अपातकालीन कार्यवाईयां जो नियम के मुताबिक ठीक नही हैं तथा संस्था के नियमों के अनुसार बाद में कार्यकारी संस्था की मंजूरी से तथा संस्था की सहिमति से कारवाई की जा सकती है
8) संस्था की हर जरूरी कार्यवाईयां जो अदालत के कानून अनुसार की गई हों उसके लिए सभापति जिम्मेवार होगा
9) वह सटाफ तथा संस्था का मुखिया होगा तथा उसके काम कानून के मुताबिक किये हुए समझे जाएगें

2) **उप-सभापति/उपाध्यक्षः**

सभापति की गैर हाजरी में सभा को चलाने की जिम्मेवारी उप-सभापति की होगी तथा संस्था की हर प्रकार की कार्यवाईयां करने का अधिकार होगा। सभापति की हाजरी में वह, सभापति की मदद करेगा।

3) **सैकटरीः**

संस्था को चलाने के लिए सैकटरी निम्नलिखत कार्यवाहीयां करेगाः

1) सरकारी दफ्तरों के साथ तथा दूसरी संस्था के साथ पत्र-व्यवहार करेगा
2) दफ्तरों के काम करने के लिए योजना बनाएगा, देखभाल करेगा, प्रशासन संस्था की कार्यवाईयां और आम कार्यवाईयों का निरिक्षण करेगा
3) सैकटरी सभा का सदस्य होगा तथा संस्था की प्रत्येक कार्यवाईयों का रिकार्ड रखेगा
4) वह सभा की मीटिंग का प्रबंध करेगा, मीटिंग का एजेण्डा तैयार करेगा तथा सभी सदस्यों को सूचित करेगा, मीटिंग में होने वाली प्रत्येक कार्यवाईयों का रिकार्ड रखेगा, कैंपों का प्रबंध करेगा और संस्था के कैंपों के प्रोगराम के बारे में सूचित करेगा।

4) **कानूनी सलाहकारः**

संस्था को हर कानूनी काम में अपनी सलाह देगा तथा संस्था की तरफ से कानूनी अदालत में पेश होगा

5) **खजानचीः**

1) संस्था के धन का इस्तेमाल करेगा, धन को बचाकर रखेगा तथा यकीन करेगा कि संस्था का धन जमां हो गया है।
2) संस्था के बैंक खातों को खजानची सांझे तौर पर कारवाई करेगा जिसमें एक सभापति के हस्ताक्षर, अनिवार्य होंगे या सभापति की गैर हाजरी में उप-सभापति हस्ताक्षर कर सकता है या जो सदस्य कार्यकारी संस्था की तरफ से नियुक्त होगा, करेगा।
3) खजानजी अल्ग अल्ग सभाओं में संस्था की आमदनी और खर्चा सभा के सामने पेश करेगा
4) सलाना मीटिंग में खजानची पेश होगा तथा चैक की गई खाते की नकले बैलेंस शीट तथा पिछले

साल के खर्चे की रिपोर्ट तथा आम रिपोर्ट को पेश करेगा।

5) बिलों की अदायगी जहां तक हो सके चैक द्वारा करेगा और प्रमाण पत्र, धन की अदायगी के लिए सभापति/सैक्टरी से लेगा।

6) खजानची तथा फाईनांस कमेटी (अगर कोई बाद में बनती है) ठीक तरीके से ईस्तेमाल करने की जिम्मेवार होगी, जिसमें खातों का प्रबंध तथा खातों को साल में चलाना या बंद करने की जिम्मेवारी होगी। खजानची खातों की किताबें को आडिटर द्वारा जो संस्था की तरफ से नामजद होगा, तथा यकीन करेगा कि आडिटर ने जो संस्था की तरफ से नामजद है खाते चैक कर लिये है।

7) संस्था के धन प्रबंध के बारे में जो कार्यवाईयां सभापति या उप सभापति की हदायत के अनुसार की गई है उसके लिए खजानची जिम्मेवार होगा। अगर कोई सांझा खजानची होगा तो व संस्था की उन्नति के लिए खजानची की मदद करेगा

धारा -14

1) **अस्तीफाः**

अगर कोई सभा का सदस्य संस्था से अस्तीफा देना चाहता है, उसके लिए वह एक लिखित प्रार्थना पत्र सैकटरी को देगा जिसमें वह लिखेगा कि वह अपनी सदस्यता से अस्तीफा दे रहा हूं। उसका अस्तीफा आम मीटिंग में विचार किया जाएगा जो संस्था का फैंसला होगा उसी के अनुसार कार्यवाई होगी। अस्तीफे को मानने के लिए अगर कोई संस्था ने ऐसा नियम पास नहीं किया तो उसके लिए अस्तीफा सरप्रस्त को उसके फैंसले के लिए भेजा जाएगा।

धारा -15

1) **जनरलः**

संस्था के आदेशों को और उसकी भलाई के लिए जो कि गैर सरकारी संस्था बनाई गई है तथा इसको चलाने के लिए कोई राजनीतिक ईच्छा नहीं है। कोई भी संस्था का सदस्य संस्था के नाम पर कोई भत्ता नहीं लेगा बल्कि संस्था का आदेश पूर्ण रूप से समाजिक भलाई के लिए होगा।

धारा -16

1) **सविंधान में दरूस्तीः**

कार्यकारी सभा इस दरूस्ती के लिए आम सभा में सुझाव पेश कर सकती है जिसमें सविधान के नियम तथा निर्देशों की दरूस्ती करने के लिए सुझाव मान लिये जाएगें और मीटिंग के समुह द्वारा अगर उनकी गिनती आधे से ज्यादा होती है जो यह मानते है कि दरूस्ती करनी चाहिए तो वोटिंग पर दरूस्ती कर दी जाएगी। दरूस्ती नियम तथा निर्देश में अगर समुह चाहता है कि चुनाव में भाग लें और जो दरूस्ती के लिए सुझाव दिया है वह प्रत्येक सदस्य को मीटिंग से 7 दिन पहले भेजा जाएगा।

धारा -17

1) **धन/फाईनांस :**

प्रत्येक वर्ष धन-वर्ष (फाईनांस ईयर) के अप्रैल की पहली तारीख से शूरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा।

संस्था की आमदनी के लिए निम्नलिखत तरीके हैः

1) दाखिला फीस/ चंदा फीस
2) आमदनी कारवाईयों से
3) नगर-निगम की ग्रांट/ दूसरे अधिकारी जो केंन्द्रीय/ प्रांत सरकार, एम.पी. की तरफ से, एम.एल.ए आदि दे सकता है
4) दान, ग्रांट आम लोगों से तथा प्रशासन संस्था की तरफ से
5) आमदनी मशहूरीयों से, सपान्सर आदि
6) संस्था की दूसरी कोई भी आमदनी जो सभा के आदेशों को पूरा करने के लिए

<u>धारा -18</u>

1) रिकार्डः

सारे रिकार्ड संबंधित खाते, खर्चे जो भी खजानची ने बनाये हैं, रिकार्ड जो संबंधित प्रबंध तथा देखभाल जो सैकटरी ने बनाये है उनका रिकार्ड रखना।

<u>धारा -19</u>

1) **सभा भंग करना तथा इसकी जायदादः**

अगर सभा को भंग किया जाता है तो उसकी चल व अचल जायदाद या जो भी उसका बकाया संस्था का है, वो किसी दूसरी प्रसाशन संस्था को, जो इसी तरह की है, उसको दे दिया जाएगा या उस समय जो मीटिंग में फैंसला होगा तथा जो भी किसी के हिस्से कलेम जायदाद के बारे में होगा, उनको दे दिया जाएगा।

तसदीक किया जाता है कि नकल प्रशासन संस्था तथा नियम जो विशेष विरुध अपराध विभाग (Special Anti Crime Bureau)

सभापति उप-सभापति दफ्तर-सैकटरी खजानची